

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.)

:: केन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर में स्थित केंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। केंटीन संचालक इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से 11.08.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 1,000/- (एक हजार रुपये) का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 12.08.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी एवं 'प्री बिड मीटिंग' दिनांक 05.08.2023 को रखी जाना है। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

 20-7-23

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

कैंटीन संचालन का स्थान :- जिला न्यायालय परिसर, ओहदपुर, न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर

निविदा फॉर्म

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता का नाम

पता -

मोबाईल नं.

आधार कार्ड नं.

पेन कार्ड नं.

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो

संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यदि हो तो

जीएसटी प्रमाण पत्र यदि हो तो

प्रस्तावित अनुबंध राशि (शब्दों एवं अंको में)

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

—00—

जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर स्थित कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका क्षेत्रफल निम्नानुसार है :-

कैंटीन

लंबाई	चौड़ाई	कुल एरिया
30.95	15.60	482.82 वर्ग मीटर

कैंटीन से लगी किचन, वॉशरूम, स्टोर, सर्विसिंग एरिया

लंबाई	चौड़ाई	कुल एरिया
10.70	10.85	116.09 वर्ग मीटर

निविदा शर्तें

- 1- निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 11.08.2023 तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2- निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया

जाएगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।

- 3- कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।
- 4- निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ रूपये 2,00,000/- (दो लाख) की जमानत राशि जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को देय डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर लौटा दी जावेगा।
- 5- प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये राशि रूपये 24,00,000/- रूपये (चौबीस लाख) की न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है। अनुज्ञा शुल्क निविदाकर्ता जिसके द्वारा अधिकतम प्रस्तावित किया जावेगा, अन्य शर्तों के अध्याधीन निविदा स्वीकार की जावेगी।
- 6- जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
- 7- अनुबंध की शर्तों को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- 8- माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 9- कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अर्बॉर्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 10- निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
- 11- निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध

विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

- 12— प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
- 13— समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान अनियमित गतिविधि पाये जाने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- 14— निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।
- 15— निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थायी निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।
- 16— निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।
- 17— निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।
- 18— निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैंटीन संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि की समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।
- 19— खाद्य सामग्री की दरों की सूची निविदा के साथ संलग्न की जायेगी।
- 20— निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु खाद्य सामग्री की किफायती दरों में रियायत कर सूची अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर कर्मचारीगण को प्रसारित किये जाने हेतु

प्रेषित की जायेगी।

- 21- विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
- 22- निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस पाँच सौ रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
- 23- निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी
- 24- कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
- 25- अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक 2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
- 26- निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन के बैठक कक्ष में एयर कंडीशनर की व्यवस्था की जायेगी।
- 27- सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर 500/- रुपये के स्टाम्प शुल्क पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।
- 28- कैंटीन जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सांय 07 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
- 29- समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/ उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 30- कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को द्वितीय पक्ष का यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।
- 31- सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय-समय पर किया जावेगा।
- 32- कैंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

- 33- प्रथम पक्ष कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
- 34- कैंटीन के अंदर किसी भी मासाहारी एवं मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूम्रपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- 35- कैंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/डाइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 36- निविदा फॉर्म कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 11.08.2023 तक 1,000/- (एक हजार) रुपये का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 12.08.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी एवं प्री बिड मीटिंग दिनांक 05.08.2023 को रखी जाना है। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।
- 37- निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर